संख्या-4/2017 /1343/60-1-17-1/13(62)17

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक जून, 2017

विषय-: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929 एवं The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929 एवं The Prohibition of Chid Marriage Act, 2006 का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के संबंध में शासन के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-1315/60-1-05-1/3(188)/01, दिनांक 15.04.2005, एम0एम0-64/60-1-06-1/3(188)/01, दिनांक 29.03.2006 तथा बी0एस0-27/60-1-07-1/3(188)/01, दिनांक 18.04.2007 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- समाज की रूढ़वादी परम्परा के कारण समाज में कतिपय लोग लड़के और लड़कियों के विवाह योग्य विवाह आयु के पूर्व ही बच्चों का विवाह कर देते है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरूद्ध बाल विवाह विरोधी अधिनियम, 2006 के असितत्व में होने के बावजूद भी विवाह की प्राय: घटना घटित होती रहती है।

3- बाल विवाह उन्मूलन के लिए चलाये जा रहे अभियानों के तहत स्टडी हाल एजूकेशन फाउण्डेशन, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान इण्डिया डाटर कैम्पेन में प्रदेश के सरकारी विभागों से निम्नलिखित सहभागिता प्रदान किये जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

- हर जिले या ब्लॉक स्तर पर थाने में कार्यरत पुलिस अधिकारी को उस ब्लॉक के स्कूलों से जोड़े ताकि किसी भी तरह की सहायता के लिए संबंधित स्कूल उनसे सहायता प्राप्त कर सकें।
- ब्लॉक स्तर पर बाल विवाह उन्मूलन के लिए निकलने वाली रैलियों में उस ब्लॉक में स्थित थाने के अधिकारियों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित और
-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्देशित करें। ताकि बालिकाओं, शिक्षिकाओं, धार्मिक स्थानों के धर्मगुरूओ और समुदाय के लोगों में कानून व्यवस्था पर विश्वास और निर्भरता उजागर हो।

- जिले स्तर पर बाल विवाह उन्मूलन के लिए सभी को इण्डिया डॉटर्स कैम्पेन में जोड़ते हुए सभी स्कूलों में उनकी बैठके सुनिश्चित करें।
- जिले स्तर पर कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक और जिले स्तर पर बच्चों के साथ कार्य करने वाले सभी अधिकारियों की कार्यसूची और जिम्मेदारियों में बाल विवाह उन्मूलन के लिए कार्यरत सभी सरकारी विभागों और अधिकारियों की सम्पूर्ण जानकारी देना सुनिश्चित करें।

4- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल विवाह रोके जाने के संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन नागरिकों के व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर जागरूकता उत्पन्न करें ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगायी जा सकें तथा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीया,

¼रेणुका कुमार½
प्रमुख सचिव

संख्या-4/2017(1)/60-1-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित के वे अपने स्तर से भी दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

¼पंचम राम½
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता:अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।